

an>

Title: Need to make payment through mobile apps foolproof.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : अध्यक्ष महोदया, आज शून्य पूहर में मैं जिस इश्यू को उठाने वाला हूँ, ऐसे तो 15 मार्च को भी मेरा नाम शून्य पूहर में बोलने के लिए था, पर उस दिन शून्य पूहर रह हुआ था।

महोदया, आप मराठी भाषा अच्छी तरह से जानती हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में 'लोकसत्ता' एक समाचार-पत्र है। उसमें 15 मार्च, 2017 को एक न्यूज़ आई थी - 'यूपीआय घोटाल्याची व्याप्ती 75 कोटीवर।'

अध्यक्ष महोदया, नोटबंदी के बाद मोबाइल के यूपी.आई. एप्स के द्वारा पैसे का बहुत गलत ढंग से ट्रांसफर हुआ है। खासकर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 84 लोगों के खिलाफ अभी तक एफ.आई.आर. दाखिल हुआ है। जो लोग इस एप्स को यूज़ करते हैं, जिन्होंने इस मोबाइल से फोन किया है, वैसे लोगों के खिलाफ ही सिर्फ एफ.आई.आर. दाखिल हुई है। मेरा कहना है कि इस यूपी.आई. एप्स को बनाने वाली कंपनी 'इफ़्टेक' का इसमें दोष है। मगर, एफ.आई.आर. ग्राहकों पर हुआ है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि यह चोर को छोड़कर संन्यासी को फाँसी देने का काम चल रहा है। इसमें तो यूपी.आई. एप्स बनाने वाली इस 'इफ़्टेक' कंपनी का दोष है। उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दाखिल होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद।